हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुक्म

नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 129/2016

सरिता बनाम विनोद

दिनांक–12.11.2025

अधिवक्ता वादीगण श्री सर्वेश सारस्वत व अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री प्रमोद कुमार मोदी, श्री रजनीश महला व श्री जय कौशिक उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी विवेक पौद्दार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते साक्ष्य वादी में अन्य साक्षियों के शपथ पत्र का अवसर बंद करने पर उभयपक्ष को सुना गया।

बहस के दौरान प्रार्थी/प्रतिवादी विवेक पौद्दार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए तर्क दिया गया कि हस्तगत प्रकरण में दिनांक 15.03.2021 को विवाद्यकों की विरचना के पश्चात् वादी साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं किन्तु वादीगण द्वारा अनावश्यक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए साक्ष्य पेश करने में विलंब कारित किया गया है एवं वर्तमान में साक्ष्य शपथ पत्र पेश करने वाला पराग सुधीर चितले वास्तव में पराग सुधीर चितले नामक व्यक्ति होना प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य वादी में अन्य अवसर प्रदान नहीं करते हुए साक्ष्य वादी बंद की जावे।

उपर्युक्त तर्कों के खण्डन में अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दोहराते हुए तर्क दिया गया है कि प्रार्थी पराग सुधीर चितले प्रकरण का वादी है जिसके द्वारा उपस्थित होकर अपना शपथ पत्र पेश किया गया है तथा सर्वप्रथम वादी की साक्ष्य होने के पश्चात् ही अन्य साक्षियों को परीक्षित कराया जाना विधिसम्मत होने से हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण न्यायालय में वर्ष 2016 से लंबित होकर इस न्यायालय का टारगेटेड नंबर एक है तथा प्रकरण में आज दिनांक तक विभिन्न कारणों से साक्ष्य प्रारंभ नहीं हो सकी है जिससे पत्रावली को दिन–प्रतिदिन नियत किया जा रहा है तथा वर्तमान में वादी पराग सुधीर चितले द्वारा अपना शपथ पत्र पेश किया गया है तथा न्यायहित में वादी को अपना समुचित साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाना उचित पाया जाता है। इसके अतिरिक्त शपथ पत्र प्रस्तुतकर्ता पराग सुधीर चितले नहीं होकर कोई अन्य व्यक्ति होने का भी कोई विश्वसनीय आधार प्रार्थी द्वारा प्रकट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया किया जाना उचित पाया जाता है। अतः प्रार्थी विवेक पौद्दार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते साक्ष्य वादी में अन्य साक्षियों के शपथ पत्र का अवसर बंद करने का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली में उभयपक्ष द्वारा पत्रावली को दिनांक 14.11.2025 नियत किये जाने का निवेदन किया गया किन्तु टारगेटेड नंबर 1 पत्रावली होने से पत्रावली को साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 13.11.2025 को नियत किया जाता है।

12.11.2025

अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर-शेखावाटी (सीकर) राज.